न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 391/2022 निर्णय दिनांक :– 15/6/23

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. पृथ्वीराज सिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. भुवानीसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार महोदय तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितिः–

श्री छीतर सिंह नाथावत **तहसीलदार देवली**

अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए बाबत पत्थरगढी किये जाने

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 259 खसरा नम्बर 2179 रकबा 0.51 है0, खसरा नम्बर 2182 रकबा 0.64 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.15 है0 वाके ग्राम डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि के सीमा चिन्ह मिट चुके है तथा सीमाएं अस्पष्ट हो गई है जिसके कारण मोके पर प्रार्थीगण एवं पडोसी खातेदारों के मध्य उक्त भूमि की सीमा एवं कब्जे को लेकर गंभीर विवाद होने की संभावना है। उक्त भूमि बाबत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश भी न्यायालय से जारी है। प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत श्रीमान तहसीलदार देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है:- उक्त आराजी आवेदक की खातेदारी में दर्ज है। ख. नं. 2182 पर कब्जाकाश्त सम्पूर्ण व ख. नं. 2179 पर आंशिक कब्जा काश्त है। व कब्जेकाश्त है। आवेदक का अन्य पड़ोसी खातेदारों से सीमा विवाद है । जिन खातेदारो से सीमा विवाद है उनको पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। उक्त आराजी के सम्बन्ध में किसी न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त नही है । आवेदक की खातेदारी भूमि की सीमाओं पर राजकीय अतिक्रमीत भूमि नहीं है। मुताबिक सीमाज्ञान पत्रावली में पूर्व सीमाज्ञान नही हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार ख. नं. 2179 पर प्रार्थी का केवल आंशिक भूमि पर कब्जा है जिस पर पत्थरगढी का आदेश किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। ख. नं. 2182 पर कब्जाकाश्त सम्पूर्ण है, जिसके लिए प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार देवली को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 में अंकित खाता संख्या 259 खसरा नम्बर 2182 रकबा 0.64 है0 ग्राम डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/5/23

उपखण्ड अधिकारी
देवली